

प्रशासन गांवों के संग अभियान
2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान/ कैम्प कोर्ट) कैम्प चौकड़ी कलां


कमांक : राजस्व/प्र.गा.सं.अ./2021/496

दिनांक : 29.10.2021

शु. नं. 565/21 --आदेश--

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी चौकड़ी कलां व मू.अ.नि.चौकड़ी कलां की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़ शहर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चौकड़ी कलां तहसील पीपाड़ शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में खाता संख्या 259, 260 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


क. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	चौकड़ी कलां	259	126, 139, 349, 350, 352, 93, 94, 95	कालूराम, डूंगाराम, बुद्धाराम, एवं मलाराम पिता रीमजिया	कालूराम, डूंगाराम, बुद्धाराम, एवं मलाराम पिता रमजीराम
		260	1012/2	कालूराम, डूंगाराम, बुद्धाराम, एवं मलाराम पिता रीमजिया	कालूराम, डूंगाराम, बुद्धाराम, एवं मलाराम पिता रमजीराम


(दू.द.राम)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़ शहर
दिनांक :- 29.10.2021

कमांक :-सम/2021/497-499

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. हल्का पटवारी चौकड़ी कलां को सूचनार्थ।
3. प्रार्थी कालुराम पुत्र रमजीराम जाति बावरी निवासी चौकड़ी कलां को सूचनार्थ।


(दू.द.राम)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़ शहर